

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ

पत्रांक:-12/2014 सीएसी/14-यूओ 43 सीएसी/2000 दिनांक 01-09-2014

- 1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, 3-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त),  
2-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो), 4-समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,  
उओप्रओ परिवहन निगम।

विषय:-यात्री-पास योजना।

उओप्रओ परिवहन निगम में प्रभावी "यात्री पास योजना (ग्रामीण सेवाये)" के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर भी "यात्री-पास" जारी किये जायें।

ग्रामीण सेवाओं में "यात्री पास योजना" के अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

  
(कै० विजयेन्द्र पाण्डेयन)  
अपर प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक- समसंख्यक एवं समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय।
- 2- परिवहन निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी(अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) को छोड़कर )।
- 3- निजी सचिव-अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय।
- 4- सहायक प्रबन्धक, (वित्त) / आई०टी०एम०एस०, परिवहन निगम मुख्यालय।
- 5- जनसम्पर्क अधिकारी/प्रभारी-कम्प्यूटर कक्ष, परिवहन निगम मुख्यालय।

(एच०एस० याबा)  
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा०)